एस०सी०आर०नं० 1970/95

प्रतिलिपि [illegible] - - - का जो कि श्री जे. के. एस. राजपूत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म०प्र०) के न्यायालय में सत्र प्र०क्र० 233/92 अभिलिखित किया गया है, जिसे प्रकार निम्नलिखित है:-

म०प्र०शासन, द्वारा- थाना भिलाई नगर,
द्वारा - सी०बी०आई० न्यू दिल्ली. .... अभियोजन.

विरुद्ध

1. चन्द्रकान्त शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- 21/24, नेहरू नगर, भिलाई.
2. शशिकान्त मिश्रा उर्फ शानू आ० छोटकन,
साकिन- बाजार आटा चक्की, कैम्प-1, रोड नं. 18, भिलाई.
3. अवधेश राय आ० रामआशीष राय,
साकिन- क्वा०नं०- 7ए, रोड नं०-5, सेक्टर-5, भिलाई.
4. अभय कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह आ० विक्रमा सिंह,
साकिन- 7 जी, कैम्प-1, भिलाई, जिला दुर्ग.
5. मूलचंद शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन-सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
6. नवीन शाह आ० रामजी भाई शाह,
साकिन- सिम्पलेक्स कालोनी, मालवीय नगर, जी०ई०रोड, दुर्ग
7. पल्टन मल्लाह उर्फ रवि आ० नोनाई मल्लाह,
साकिन- निमडी थाना रुद्रपुर, जिला देवरिया (उ०प्र०)
8. चन्द्र बक्श सिंह आ० भारत सिंह,
साकिन-जी-36, ए०सी०सी०कालोनी, जामुल, जिला दुर्ग.
9. बल्देव सिंह सेठू आ० रावेल सिंह सेठू,
साकिन- आर-37, एम०पी०हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,
इन्डस्ट्रियल एरिया, भिलाई ....अभियुक्तगण

1-2-0

न्यायालय:- व्दितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0।

। समक्ष:- श्री जे0के0एस0राजपूत ।

सत्र प्र0क्र0- 233/92

:: आरोप-पत्र ::

मैं जे0के0एस0राजपूत, व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ।म0प्र0। तुम अवधेश रॉय आत्मज रामआशीष रॉय पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूं :- 1 मार्च 91 से सित0 91 के मध्य किसी समय

प्रथम :- यह कि आपने ~~हुडको कालोनी, दुर्ग में दिनांक 28-9-91 को या~~ जिला दुर्ग (म0प्र0) में ~~उसके लगभग प्रात: 3.45 बजे~~ या उसके लगभग 1 आपने मूलचंद शाह, नवीन शाह, चंद्रकांत शाह, ज्ञानप्रकाश मिश्रा, ~~अवधेश रॉय,~~ अभयकुमार सिंह, चंद्रबख्श सिंह, बलदेव सिंह एवं पलटन मल्लाह के साथ आपसी सहमति व्दारा शंकर गुहा नियोगी की हत्या का षड्यंत्र रचा, जो एक अवैध कार्य था या उसे अवैध साधनों व्दारा कारित करने के लिये करार किया था या उस सहमति के अनुसरण में शंकर गुहा नियोगी की हत्या की गई और इस प्रकार आपने एक ऐसा कार्य किया, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी सहपठित धारा 302 के अधीन एक दंडनीय अपराध है तथा इसके संज्ञान की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

30 28-9-91 को प्रात: 45 बजे हुडको कालोनी दुर्ग में

J.K.Rajput 9.8.94

अतएव मैं आदेशित करता हूं कि उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय व्दारा किया जावे ।

J.K.Rajput

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दुर्ग, दिनांक:- 2-5-5-94

अभियुक्त को उक्त आरोप को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने कथन किया कि :- आरोप गलत है।

अवधेश राय

J.K.Rajput

। जे0के0एस0राजपूत ।
व्दितीय अति0 सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग ।म0प्र0।

दिनांक:- 2-5-5-94

अपराध नहीं करता हूं।
J.K.Rajput 9.8.94

अवधेश राय 9.8.94

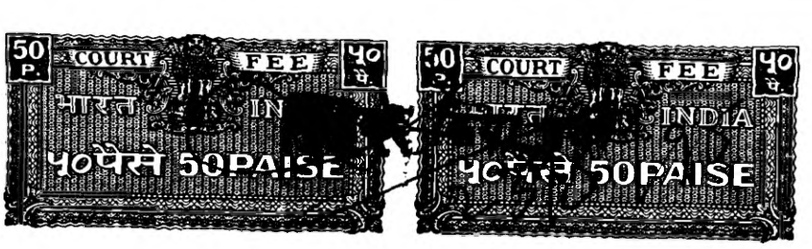

सत्य प्रतिलिपि
23/5/95
प्रधान प्रतिलिपिकार
प्रतिलिपि विभाग,
कार्या. जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (म.प्र.)